न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्याः 01 / 20 दायर दिनांकः 05.06.2020

जीसीएमएस नं. 2020 / 00025

उनवान

1 श्रीकिशन पुत्र श्री रामसिंह जाति मीना नि. झारौटी तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——प्रार्थी

बनाम

1 राधे 2 बाबू 3 विशम्बर 4 हरीसिंह पुत्रान रामसहाय 5 शिवराम 6 मुकेश 7 विक्रम पुत्रान रतनलाल जातियान मीना नि. झारौटी तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(ए)
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

अधिवक्ता :—

1 श्री महेश मीना ——प्रार्थी

2 श्री शान्तिस्वरूप शर्मा ——अप्रार्थी सं. 1 लगा. 5

निर्णय दिनांक 15/04/2026

प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 441 रकबा 0.30 हैक्टे. वाके ग्राम झारौटी तह. भुसावर में स्थित है, जो प्रार्थी को अपने परिवारजनों से मनवटनी तौर पर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार प्रार्थी ही उक्त रकबे को काफी अरसे दराज से काश्त करता चला आ रहा है। नकल जमन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संवत 2074 पेश की जा रही है।

प्रार्थी उक्त खसरा नंबर 441 को जोतने बोने व बुबाई करने हेतु ट्रैक्टर ट्रॉली आदि खसरा नंबर 440 रकबा 0.24 हैक्टे. में होकर ही ले जाते है तथा समय समय पर खसरा नंबर 440 में होकर अपने खसरा नंबर 441 को जोतने बोने को आते जाते है। खसरा नंबर 440 आम रास्ता से लगा हुआ है। ताईद में नक्शा ट्रेस पेश किया जा रहा है। इस प्रकार प्रार्थी अपने खसरा नंबर 440 में होकर आम रास्ते के लिये निकल जाते है, जो नक्शा ट्रेस में दर्शित किया है।

अतः प्रार्थीगण ने आराजी खसरा नंबर 440 वाके ग्राम झारौटी तह. भुसावर में होकर खसरा नंबर 441 को जाने का रास्ता नियमानुसार दिये जाने हेतु निवेदन किया है।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक की गई। नोटिस की ताईद में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर से वकालतनामा एवं जवाब

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

श्री शान्तिस्वरूप शर्मा एड. द्वारा पेश किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 बाद तामील उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जाती है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार, भुसावर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई।

हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड तथा तहसीलदार, भुसावर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भली भाँति अध्ययन किया गया।

उक्त के आधार पर हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 251(ए) आर.टी.ए. 1955 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 440 में से 0.0128 हैक्टे. (32 मीटर लंबा व 04 मीटर चौड़ा) रास्ता प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 441 हेतु स्वीकृत किया जाता है। उक्त स्वीकृत रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार दर्ज करने की कार्यवाही की जावें।

उक्त आदेश केवल तभी निष्पादित किया जावेगा, जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को उनकी रास्ते में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. दरों अनुसार दोगुनी क्षतिपूर्ति प्रतिकर [नियम 70 (प प) (1)] तथा आर.टी.ए. नियम (संशोधित) 2012 के नियम 70(2) के अन्तर्गत प्रस्तावित रास्ता निर्माण में संभावित वास्तविक नुकसान यदि कोई हो तो, का नियमानुसार प्रतिकर योग पश्चात कुल प्रतिकर दे दिया जावेगा अथवा तहसील कार्यालय, भुसावर में जमा करवा दिया जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 15/04/2026 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.